सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जून, 2020 ई0 (ज्येष्ठ 23, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखण्ड

आवश्यक सूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड)

25 जनवरी, 2020 ई0

पत्रांकः 1859/11/09/स्वा0 वि0/2019–20–नगर निगम ऋषिकेश जनपद देहरादून, सीमान्तर्गत उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त अधिनियम 1959 की धारा 541 (1) प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निगम ऋषिकेश द्वारा ''फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2019'' जिन पर इस अधिनियम का प्रभाव पड़ने वाला हो नगर निगम सदन द्वारा अनुमोदन स्वीकृति उपरान्त प्रस्ताव सं0 22 दिनांक 18–11–2019 के तहत् उपविधि का प्रकाशन आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्धेश्य से किया जा रहा है।

विधिमान्य समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि 30 दिन अर्थात् एक माह के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियॉ मुख्य नगर आयुक्त व सहायक नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश, को प्रेषित की जा सकेगी। वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई निर्णय नहीं किया जायेगा।

अध्याय–23

सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः**
   (1) ये उप–नियम नगर निगम ऋषिकेश, "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम– 2019" कहलायेगा।
   (2) ये उप–नियम नगर निगम ऋषिकेश,के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. ये उप–नियम नगर निगम ऋषिकेश,की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

1. प्रसंग :

देश का विगत अनुभव दिखाता है कि सेप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजाइन से सम्बन्धित है स्थानीय संस्थओं द्वारा वर्षो से अनुपालन किया जा रहा है वह इस समय सोचनीय प्रबंधन में है। यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाता है, ताकि सेप्टेज / फीकल स्लज सेप्टिक टैंक, गडढे, शौचालय, पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी के स्रोत को प्रदूषित न करें।

1.1 **राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीतिः**

इस पहलू को संबोधित करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय ,भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है "राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति" वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ, तंदुरूस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे। जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधक, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहें, जिसमें गरीबों पर ध्यान केंन्द्रित किया जायें।

शहरी नीति का मुख्य उद्धेश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रीव्यपी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र मे हो सके। जैसे कि सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्था । एक वास्तविकता प्रत्येक परिवार के लिए गलियों मे नगर और शहरों मे बनी रह सके ।

1.2 **उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंक प्रोटोकॉलः**

आदरणीय एन0जी0टी0 आदेश सं0 10/2005 दिनांक 10.12.2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये है जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंध से सम्बन्धित है। "उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकॉल तैयार किया जायेगा और राज्य द्वारा तथा समस्त ऐंजेसी द्वारा सूचित किया जायेगा। यह आशान्वित करने के लिए कि सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक टैंक मे या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है। नियमित रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद जो प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जाये और इस उद्धेश्य हेतु राज्य प्रशासन एक प्रभावी भागीदारी सम्बन्धित नगर निगम ऋषिकेश की होगी। उपरोक्त के अनुपालन में और जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/ नगर निगम अधिनियम 1959 शहरी विकास निर्देशालय जो कि उत्तराखंड जल संस्थान के समन्वय से होगा, उन्होंने एक प्रोटोकोल सेप्टेज प्रबंध के लिए तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचित किया गया है, ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके आदेश संख्या 597/IV(2)–श0 वि0–2017–50 (सा0) /16 दिनांक 22–05–2017 राज्य का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल राज्य और शहरों को यह दिग्दर्शन कराता है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे, जो कि एकत्रीकरण ,परिवहन, इलाज , सेप्टेज/फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। स्पष्ट दिशा–निर्देश इस प्रोटोकोल के है कि राज्य शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जाये कि वे अपने सेप्टेज प्रबंध का उच्चीकरण कर सके और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सके। इस प्रोटोकोल के प्रभावी कियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत नगर निगम ऋषिकेश , जल निगम, जल संस्थान होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

2. नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एवं सेप्टेज का नियमितकरण:

सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के शाानादेश संख्या 597/IV(2)–श0 वि0–2017–50 (सा0) /16 दिनांक 22–05–2017 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर निगम ऋषिकेश नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अंतर्गत। जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर निगम ऋषिकेश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।

3. उद्धेश्य एवं कार्य क्षेत्र:

नियमावली के उद्धेश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत् है:

1. निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढ्ढे, परिवहन,इलाज और सुरक्षित रखरखाव, जोकि स्लज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देश करना जोकि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गढ्ढे से और फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके ।
3. उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन ।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जोकि स्लज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।
5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4. एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द–बुर्द हेतु एक प्रकिया अपनाना:

4.1 सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना:

- सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पंहुच गया है या बार बार के आखिर में जो डिजाइन है, जो कोई भी पहले आये।
- जबकि स्लज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है, उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय प्रबन्धन द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।
- सुरक्षा प्रकिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल में वणिर्त है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 . सेप्टेज /फीकल स्लज का परिवहन:

1 फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय–समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेगें।

2 फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे कि:

अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु इस्तेमाल किये जायेगें फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु। जो कि छिद्र निरोधी होगा और

फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु ताला बंद रहेगा और लागू किये जाने योग्य मानदंड का अनुपालन करेगे

Scanned with OKEN Scanner

ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाज:

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकोल के अनुसार नगर निगम की अपनी एक इकाई होगी। अगर पहले से 25 किमी0 के अंतर्गत स्थित है तो सेप्टेज को नजदीकी एस0टी0पी0 में परिवहन किया जायेगा, अन्यथा एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण किया जायेगा।

5. सुरक्षा उपाय:

1 उचित तकनीकी शयंत्र, सुरक्षा दियर का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जाना चाहिए जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधक प्रोटोकोल 2017 में वर्णित है।

2 फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करें कि:

अ. समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेफ्टी गेयर और यंत्र जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा कोटेड लियोप्रीन लोपस, रबड बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा जैसा कि रोजगार का नियंत्रण जो कि मेनवल स्कोवेंजर और उनके पुनर्वास नियम 2013 में उल्लिखित है।

ब. समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये।

स. समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए।

द. प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और आग बुझाने वाला मल निस्तारण गाडी में रखे जाते है। इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है।

य. धूम्रपान जबकि सेप्टिक टैंक पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धूम्रपान वर्जित है।

र. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे मे प्रवेश नही करेंगें और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना– जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

ल. बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जाये, ताकि वे टैंक के स्कू और ताले से सुरक्षित रहे। कर्मचारी सावधान रहेंगे कि जब मल निस्तारण प्रकिया चल रही हो, जो कि ढक्कन पर अत्याधिक भार हेतु है या मेन हॉल का आच्छादन टूटने बचा रहे ।

6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन:

6.1 नगर निगम ऋषिकेश दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा। निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जि है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसेा पंजीकरण हेतु प्रार्थना –पत्र करेगा जो कि गाडियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति का भी अपने इस कार्य से उत्साहित करेगे परिवहन प्रपत्र. और परपिट परिष्टि –ए, 2 में संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोट्रेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ. प्रारंभिक पंजीकरण : रू0 2,000.00 प्रति गाड़ी

ब. नवीनीकरण : रू0 1,500.00 प्रति गाड़ी

स. नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन : रू0 1,000.00 प्रति गाड़ी

द. अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार : रू 1,000.00 प्रति गााड़ी

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढ़ेगा)

पंजीकरण व्यय जैसा कि सांकेतिक है नगर निगम बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत है, उसमें अंतर आ सकता हैं

7. उपभोक्ता लागत और इसका संचयः

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर निगम में फीकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय–समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि नगर निगम कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 नगर निगम अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय–समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एंव फीकल स्लज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है।

अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर निगम द्वारा वसूल किया जायेगा या नगर निगम फंड मे जमा किया जायेगा। सम्बन्धित भवन /सेप्टिक टैंक मालिक से।

ब नगर निगम किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी । जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है। एक यादगार समझदारी निगर निगम और अधिकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहनकर्ता के बीच अनुबंधित होगी। जो यह अधिकतर देगा कि वह इसकी लागत वसूली करें। और उसका भुगतान निकाय को करना होगां।

स. उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोडा जायेगा या एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस या भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अंतर्गत होगा, करना होगा।

सारणी 2: उपभोक्ता लागत

क0स0	वर्ग	प्रति यात्रा लागत	विराम की अधिकतम अवधि जो कि सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गड्ढे के हेतु निर्धारित है।	मसिक दंड 1.5 की दर सामान्य लागत के लिए जोकि निर्धारित मल निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा।
1.	टीनशैड वाला मकान	1000	कम से कम 2–3 वर्ष में एक बार	50
2.	अन्य समस्त मकान	3500	जब टैंक दो होते है	100

Scanned with OKEN Scanner

3.	दुकान	2500	2/3 जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जब टैंक का 2/3 भग पहले भरा हो।	125
4.	सूस्त सरकारी/निजी कार्यालय	2000		250
5.	बैंक	3500		312
6.	सामुदायिक शौचालय/मुत्रालय	3000		500
7.	रेस्टोरेन्ट	2000		500
8.	होटल/गेस्ट हाउस 1–10 कमरें	3500		250
9.	होटल अतिथि गृह 11–20 कमरें	4000		250
10.	होटल अतिथि गृह 20 कमरें से ज्यादा	5000		500
11.	धर्मशाला 1–25 कमरें	3500		625
12.	धर्मशाला 15 कमरे से ज्यादां	5000		200
13.	3 स्टार होटल	3500		400
14	5 स्टार होटल	5000		750
15	सरकारी स्कूल/कालेज	2000		1000
16.	निजी स्कूल/कालेज	2500		500
17.	2 व्हीलर व्हीकल शोरूम	2000		625
18.	4 व्हीलर वाहन शोरूम	2500		500
19.	सिनेना हॉल	3500		625
20.	होटल 0–20 कमरें	3500		1250
21.	होटल 21 से 50 कमरें	4000		500
22.	होटल 50 कमरें से अधिक	5000		550
23.	विवाह हॉल/बैंकट हॉल	3500		1100
24	बार	3500		625
25.	सरकारी हॉस्पिटल	3000		625
26.	नर्सिग हॉम/क्लीनिक	3000		500
27.	पैथोलोजिकल लैब	3000		500
28.	निजी अस्पताल 20 विस्तर तक	3500		500
29.	निजी अस्पताल 20 से 50 तक	4000		1250
30.	निजी अस्पताल 50 बिस्तर से अधिक	5000		1500
31.	चावल की मिल/ अन्य मिल	3500		1750
32.	अन्य उद्योग शिड्कुल क्षेत्र में	4000		500
33.	अन्य उद्योग शिड्कुल क्षेत्र से बाहर	3500		1500

नोटः

1. उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर निगम ऋषिकेश द्वारा निर्णित किये जायेगें।
2. मल निस्तारण समयावधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है (जैसा कि नगर निगम ऋषिकेश द्वारा स्वीकृति है)

Scanned with OKEN Scanner

3. उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढाई जायेगी ।

8. **मैकेनिजम का निरीक्षण, कियान्वयन और मजबूती देना:**

8.1 कोई भी व्यक्ति जोकि एस0एम0सी0/नगर निगम ऋषिकेश देहरादून द्वारा अधिकृत है,उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक / संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा ।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर निगम ऋषिकेश मे जमा होगी।

8.3 नगर निगम ऋषिकेश के अपने क्षेत्र के सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें।

8.4 अवचेतना कार्यकम समय–समय पर चलाया जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सेप्टिक टैक बायोंडाइजेस्टर मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी,परिवहन,निषपादन और सेप्टेज का इलाज।

9. **दंड:**

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायते, फीकल स्लज का एकत्र न करना और सेप्टेज इलाल प्लांट का/आर.एन.एल. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों का अनुपालन न करना ।

सारणी 3: दंड

क्र0 सं0	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकडी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकडी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1.	लोगों की सोचनीय सेवा की शिकायत	2500	5000	तीन महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
2.	सेप्टेज/फीकल स्लज जैसा की विशेष कार्यक्षेत्र में	1000	6 माह के लिए परमिट को स्थगित करना	
3	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण के लिए स्थगित करना।
4.	विशेष सुरक्षा उपायों का पालन न करना	5000	10000	
5.	जी0पी0एस0 जो वाहन पर लगाया गया है उसका कार्य न करना	5000	10000	

ह0 (अस्पष्ट)
नगर आयुक्त,
नगर निगम ऋषिकेश।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/192–भाग 8–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

Scanned with OKEN Scanner